# <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 1584 / 2013

संस्थापन दिनांक 18.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

#### बनाम

1—वीरेन्द्रसिंह यादव पुत्र तुलसीराम उम्र 45 साल 2—केदारसिंह यादव तुलसीराम यादव उम्र 42 साल 3—बनीसिंह यादव पुत्र वीरेन्द्रसिंह यादव उम्र 19 वर्ष निवासीगण ग्राम गुरियांची थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्तगण

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/34, 325/34, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13.10.13 को 16:30 बजे पडुआ वाला खेत ग्राम गुरियांची थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी रामहेत अ0सा02 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा फरियादी रामहेत अ0सा02 की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी रामहेत अ0सा02 की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की तथा फरियादी रामहेत अ0सा02 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13.10.13 को करीबन साढ़े चार बजे आरोपी वीरेन्द्र व केदार की भैंसे चरते—चरने फरियादी रामहेत अ0सा02 की खड़ी ज्वार की फसल में पहुंच गयी थी जब फरियादी रामहेत अ0सा02 ने आकर वीरेन्द्र से कहा कि तुम्हारी भैंसे नुकसान कर रहीं हैं तो आरोपी वीरेन्द्र बोला कि मादरचोद अभी देखते हैं और वीरेन्द्र ने कुल्हाड़ी उसके सिर में

मारी जिससे घाव होकर खून निकल आया तथा एक कुल्हाड़ी केदार ने मारी जिससे गले में घाव होकर खून निकल आया तथा आरोपी बनी ने लाठी मारी जो उसके दाहिने पैर व दाहिनी कलाई में लगी तथा आरोपी बनी ने लाठी उसके बांयी कलाई, बांये पैर, पीठ में, बखा में मारी जिससे मूंदी चोट आई तब विनोद अ०सा०1 व झुण्डी ने आकर बीच बचाव कराया तथा जाते समय आरोपी वीरेन्द्र कह रहा था कि मादरचोद आज तो बच गया आइन्दा मिलने पर जान से खतम कर देंगें। तत्पश्चात फरियादी रामहेत अ०सा०२ ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी-1 दर्ज कराई जिस पर से अप०क० 229/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोगपत्र विचारण हेत् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणाय प्रश्न ह ।क .— 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 13.10.13 को 16:30 बजे पडुआ वाला खेत ग्राम ग्रियांची थाना मौ जिला भिण्ड पर फरियादी रामहेत अ०सा०२ को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
  - क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामहेत अ०सा०२ की कुल्हाड़ी से सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
  - क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामहेत अ०सा०२ की सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
  - क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामहेत अ०सा०२ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 04 का सकारण निष्कर्ष //

रामहेत अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 18.12.15 से दो वर्ष दो माह पूर्व केदार और राजेन्द्र की भैंसे उसके खेत में चर रही थी उसने मना किया तो उन्होंने गाली गलीच की। राजेन्द्र ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी और केदार ने गले में कुल्हाड़ी मारी। बनीसिंह ने दोनों कंधों और दोनों पैर में लाठी मारी जिससे वह गिर गया जब वह चिल्लाया तब विनोद अ०सा०१ और मुकेश अ०सा०५ आ गये जो उसे मौ लेकर चले गये। जहां उसका इलाज हुआ था। फिर उसने कोई कार्यवाही नहीं की। एफआईआर प्र0पी–2 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके घर एक सिपाही आया था जो करवाकर ले गया था केदार व राजेन्द्र ने कहा था कि वह उसे नहीं छोड़ेंगें। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर रामहेत अ0सा02 ने स्वीकार किया है कि वीरेन्द्र ने उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी थी और जाते समय कह रहा था कि आज तो बच गया आइन्दा जान से खत्म कर देंगें।

3

6.

विनाद जोकि रामहेत अ०सा०२ का पुत्र है, ने कथन किया है कि दिनांक 14.10.15 से दो वर्ष पूर्व उसकी ज्वार में आरोपीगण ने भैंसे कर दी थी कारण पूछने पर आरोपीगण ने रामहेत अ०सा०२ को मां—बहन की गालियां दीं वीरेन्द्र ने रामहेत अ०सा०२ के सिर में कुल्हाड़ी मारी और केदार ने भी कुल्हाड़ी मारी जिसे वह नहीं देख पाया। बनी ने लाठियों से पैर, कंधे में मारा। केदार और वीरेन्द्र ने कहां कुल्हाड़ी मारी वह नहीं देख पाया था उसके पिता को 10—12 चोटें थीं वह चिल्लाया तो मुकेश अ०सा०५ आ गया था और आरोपीगण भाग गये जिन्होंने कहा था कि अभी तो छोड़ दिया अब गांव से निकाल देंगें, जान से मार देंगें अगर राजीनामा नहीं किया और रिपोर्ट करने गये तो वह अपने घर जाकर मोटरसाइकिल लाया तब वह और उसके पिता रामहेत अ०सा०२ रिपोर्ट करने गये और उसके पिता ने रिपोर्ट लिखाई थी। उसके पिता ठीक न होने पर 15—20 दिन उपचार के लिए गोहद में रहे थे। घटना के 4—5 दिन बाद पुलिस मौका देखने आयी थी और नक्शामौका बनाया था। नक्शामौका प्र0पी—1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

7. साक्षी मुकेश अ०सा०५ ने कथन किया है कि दिनांक 26.07.16 से तीन वर्ष पूर्व पडुआ वाले खेत पर वीरेन्द्र की भैंसे चरते हुए रामहेत अ०सा०२ की ज्वार की फसल में पहुंच गयीं तब रामहेत अ०सा०२ के रोकने पर वीरेन्द्र ने उसे गालियां दीं और दस मिनट बाद लौटकर वीरेन्द्र ने रामहेत अ०सा०२ के सिर में कुल्हाड़ी मारी। केदार ने रामहेत अ०सा०२ के सिर में कुल्हाड़ी मारी फिर बनी ने रामहेत अ०सा०२ के दाहिने पांव व दाहिने हाथ और पीठ में लाठी मारी फिर विनोद अ०सा०1 आ गया तो आरोपीगण भाग गये। आरोपीगण ने कहा था कि आज तो बच गया आइन्दा जान से मार देंगें।

साक्षी डॉ0 आर0विमलेश अ0सा04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.10.13 को मेडीकल ऑफीसर के पद पर सी.एच.सी. मी में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत रामहेत अ०सा०२ पुत्र राधेलाल उम्र 80 वर्ष निवासी गुरियांची थाना मौ को आरक्षक 764 रामसेवक थाना मौ द्वारा लाये जाने पर उसके द्वारा आहत का मेडीकल परीक्षण किया गया था जो निम्नानुसार है। चोट नं01 फटा हुआ घाव जिसके किनारे कुचले सूजे हुए एवं अनियमित आकार में थे घाव के किनारे रक्तरंजित थे। घव का आकार 2गुणा / 4 से.मी.गुणा मांसपेशी तक गहरा था सिर के पिछले हिस्से में था। चोट न02 फटा हुआ घाव 1.8से0मी0गुणा1/4से. मी. यह घाव बांयी ओर ललाट पर भौंह के पास में था। चोट नं03 फटा हुआ घाव 3.1गुणा1 / 4से.मी.गुणा चमडी तक गहरा बांयी भुजा के निचले भाग पर था। चोट नं04 नील का निशान उग्णा2से.मी. बांये कंधे पर पीछे की ओर था। चोट नं06 फटा हुआ घाव 1.2से.मी.गुणा / 4से.मी.गुणा चमड़ी तक गहरा बांये बाजू के उपरी हिस्से में था। चोट नं07 फटा हुआ घाव 1.3से.मी.गुणा1 / 4 से.मी.गुणा चमडी तक गहरा बांयी भूजा के मध्य भाग पर था। चोट नं08 फटा हुआ घाव 2.4गुणा1/4से. मी.गुणा चमड़ी तक गहरा बायी भुजा के पृष्ठ भाग पर निचले हिस्से में था। चोट नं09 खरोंच 1/4 से.मी.गुणा1/4 से.मी. बांये हाथ की बीच वाली अंगुली में था। चोट नं010 फटा हुआ घाव 2.2गुणा1 / 4 से.मी. दांये पैर के मध्य आगे के भाग पर था। चोट नं011 खरींच 1/4 से.मी.गुणा 1/4 से.मी. बांये पैर के उपरी हिस्से पर था। चोट नं012 आहत पीठ में दर्द की शिकायत कर रहा था। आहत को सी.एच. सी. गोहद एक्स-रे के लिए रैफर किया गया था। गोहद जाने के लिए आहत द्वारा

4

स्वयं निवेदन किया गया था। उसके मतानुसार उक्त समस्त चोटें 1,2, सख्त एवं खुरदुरी नुकीली चीज द्वारा आई हुई प्रतीत होती थी। चोट नं0 3,4 साधारण प्रकृति की थी। अन्य सभी चोटें सख्त एवं कुंद वस्तु द्वारा आई हुई प्रतीत होती थीं। चोट नं0 1 व 2 की प्रकृति जानने के लिए एक्स—रे की सलाह दी गयी। चोट नं0 5, 6, 7, 8, 9, 10 साधारण प्रकृति की थी जो उसके परीक्षण से 12 घण्टे के भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी—10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

- 9. साक्षी डाँ० आलोक शर्मा अ०सा०७ ने कथन किया है कि वह दिनांक 14.10.13 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मौ के आरक्षक द्वारा लाये जाने पर उसने आहत रामहेत अ०सा०२ पुत्र राधेलाल शर्मा निवासी गुरियांची का एक्सरे परीक्षण किया था जिसमें बांये बखा के बाहरी भाग में अस्थिभंग होना पाया था। एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी–11 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 10. साक्षी निहालसिंह अ०सा०६ ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.10.13 को थाना मौ में एच.सी.एम. के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी रामहेत अ०सा०२ पुत्र राधेलाल शर्मा निवासी गुरियांची द्वारा स्वयं की मारपीट कर गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में आरोपी वीरेन्द यादव, केदार यादव, बनी यादव निवासीगण ग्राम गुरियांची के विरुद्ध रिपोर्ट की थी जिस पर से उसके द्वारा अप०क० 229/13 धारा 323, 294, 506बी/34 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना हेतु प्र०आरक्षक शेषदेव भगत को सुपुर्द की थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र०पी—2 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 11. बनवारी अ0सा03 ने इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी गजेन्द्र और केदार से कुल्हाड़ी और बनी सिंह से लाठी जप्ती पत्रक प्र0पी—6 लगायत 8 के अनुसार जप्त की गयी थी और स्वतः कथन किया है कि उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफतार किया गया था गिरफतारी पत्रक प्र0पी—3 लगायत 5 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- रामहेत अ०सा०२ ने पैरा २ में कथन किया है कि उसने एफआईआर 12. प्र0पी-2 में दिनांक नहीं लिखाई थी। मुख्यपरीक्षण में भी उक्त एफआईआर पर सिपाही के आने पर ही घर पर हस्ताक्षर करना बताये हैं लेकिन निहालसिंह अ०सा०६ ने मुख्यपरीक्षण में थाना मौ के एच.सी.एम. के रूप में फरियादी द्वारा ही रिपोर्ट के लिए आना बताया है। लेकिन विनोद अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में अपने पिता को मोटरसाइकिल से रिपोर्ट लिखवाने ले जाना बताया है। विनोद अ०सा०1 ने पैरा 3 में भी बताया है कि वह खेत से घर 10-15 मिनट में पैदल अकेला गया था और रामहेत अ०सा०२ को खेत पर ही छोड गया था और फिर दोबारा लौटकर अपने पिता को लेकर पांचे बजे सीधे थाने पहुंच गया था जब उसके पिता रिपोर्ट लिखा रहे थे तब वह दूर खड़ा था। रामहेत अ०सा०२ ने पैरा 3 में कथन किया है कि एफआईआर प्र0पी-2 में उसने दिनांक नहीं लिखाई और पैरा 4 में कथन किया है कि उसकी रिपोर्ट 4:30 बजे लिखी गयी थी और घटना के 22 दिन बाद जब वह गोहद अस्पताल से आया था तब एफआईआर प्र0पी–2 पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे। निहाल अ०सा०६ ने पैरा २ में थाने पर प्राप्त होने की सूचना के समय में कांटछांट स्वीकार की है और रिपोर्ट में विलम्ब का कारण भी नहीं दर्शाया है।

अतः एफआईआर प्र0पी-2 के संबंध में फरियादी रामहेत अ0सा02 और उसके बेटे विनोद अ०सा०१ के कथन में तात्विक विरोधाभास है। सारतः रामहेत अ०सा०२ ने उपचार के बाद एफआईआर प्र0पी-2 करना बतायी है। लेकिन विनोद अ0सा01 ने सीधे थाने आकर रिपोर्ट करना बतायी है। एफआईआर प्र0पी-2 में घटना के एक घ ाण्टे बाद ही अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। अतः एफआईआर के अनुसार कोई विलम्ब नहीं है लेकिन रामहेत अ०सा०२ ने २२ दिन बाद घर पर आकर उसके एफआईआर पर हस्ताक्षर कराये जाना बताये हैं। लेकिन विनोद अ०सा०1 ने घटना दिनांक को ही एफआईआर करना बताया है। रामहेत अ०सा०२ को प्रतिपरीक्षण में ऐसा स्पष्ट सुझाव नहीं दिया गया है कि वह घटना दिनांक को थाने ही नहीं गया था और पैरा 4 में रामहेत अ०सा०२ ने साढे चार बजे रिपोर्ट लिखाया जाना बताया है। रामहेत अ०सा०२ को तारीखों का भी ज्ञान नहीं है और पैरा 5 में उसने कथन किया है कि वह बिल्कुल पढालिखा नहीं है उसने केवल हस्ताक्षर सीख लिए हैं। अतः रामहेत अ०सा०२ ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित व्यक्ति है। विनोद अ०सा०१ ने कथन में घटना दिनांक को ही रामहेत अ०सा०२ को थाने ले जाना बताया है। ्रिफआईआर प्र0पी–2 भी बिना विलम्ब के घटना के एक घण्टे बाद ही लिखी गयी है। रामहेत अ0सा02 को घटना दिनांक को पुलिस थाने न जाने का कोई रप्ष्ट सुझाव नहीं दिया गया है। अतः रामहेत अ०सा०२ के उक्त कथन से यह अर्थ नहीं 🖣 निकाला जा सकता है कि एफआईआर प्र0पी—2 घटना के 22 दिन बाद ही अंकित की गयी थी।

रामहेत अ०सा०२ ने पैरा 3 में बताया था कि उसे कुल कितनी चोटें थीं 13. वह नहीं बता सकता। विनोद अ०सा०१ ने भी मुख्यपरीक्षण में बताया है कि किसकी कुल्हाड़ी कहां लगी वह नहीं देख पाया और पैरा 3 में स्वीकार किया है कि उसके पिता को आई 10-12 चोटें किस व्यक्ति द्वारा कितनी पहुंचाई गयी थी वह नहीं बता सकता। मुकेश अ0सा05 ने पैरा 3 में बताया है कि रामहेत अ0सा02 के कुल पांच चोटें थीं। दो चोटें सिर के बीच में ही थी। चिकित्सक डाॅ0 आर0विमलेश अ०सा०४ ने सदृश्य 11 चोटों का उल्लेख किया है और प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कटी और फटी चोट का अंतर होता है। आहत के शरीर पर कोई भी चोट कटी हुई नहीं थी और उक्त चोटें उबड़ खाबड़ जगह पर गिरने से आ सकती हैं। रामहेत अ०सा०२ ने पैरा 5 में इंकार किया है कि वर्षात के कारण खेतों में रपटन होने से वह रपटने के कारण गिर गया था। अतः रामहेत अ०सा०२, विनोद अ0सा01 और मुकेश अ0सा05 ने कुल्हाड़ी से रामहेत अ0सा02 को चोट पहुंचाया जाना बताया है लेकिन रामहेत अ०सा०२ के शरीर पर कोई भी कटी हुई चोट नहीं है। तीनों ही साक्षीगण ने ऐसा कथन नहीं किया है कि कुल्हाड़ी धार की तरफ से मारी हो और ना ही प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य आया है कि कुल्हाड़ी धार की तरफ से ही मारी गयी। अतः स्वतः यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि कुल्हाड़ी धार की तरफ से ही मारी होगी। अतः आहत की चोटों की संपृष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। यह नहीं माना जा सकता है। रामहेत अ०सा०२ और विनोद अ०सा०१ के कुल कितनी चोटें थी और किसके द्वारा पहुंचाई गयी थीं यह बताने में असमर्थ रहे हैं लेकिन मुख्यपरीक्षण में रामहेत अ०सा०२ ने वीरेन्द्र और केदार द्वारा सिर में चोट पहुंचाया जाना और बनीसिंह द्वारा कंधे व पीठ में चोट पहुंचाया जाना बताया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत अन्नारेढढी बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश ए.आई.आर. 2009 एच.सी. 2661 में अभिनिर्धारित किया गया है कि जब कई व्यक्ति हमला करते हैं तब गवाह प्रत्येक आरोपी के विशिष्ट कथन को नहीं बतला पाते हैं तब मात्र इस आधार पर कथन अविश्वसनीय नहीं माने जाने चाहिए जबिक वर्तमान मामले में सिर की चोटों को रामहेत अ०सा०२ और विनोद अ०सा०१ ने स्पष्ट किया है। जिसका समर्थन मुकेश अ०सा०५ ने भी किया है और तीनों ही आरोपीगण द्वारा मारपीट करना भी बताया है। अतः मात्र इस आधार पर आहत साक्षीगण के कथन पर अविश्सनीयता प्राप्त नहीं होती है।

- 14. विनोद अ०सा०१ ने पैरा २ में रामहेत अ०सा०२ ने पैरा ३ में और मुकेश अ०सा०५ ने पैरा २ में घटना की दिनांक बताने में असमर्थता बतायी है। लेकिन तीनों ही साक्षीगण ने न्यायालयीन साक्ष्य दिनांक को घटना उपरांत व्यतीत समय को स्पष्ट किया है। विनोद अ०सा०१ और रामहेत अ०सा०२ ने वर्ष और माह में घटना का समय भी अभियोजन मामले के अनुसार स्पष्ट किया है। विशिष्ट दिनांक की बचाव पक्ष की कोई प्रतिरक्षा नहीं है। अतः घटना दिनांक का स्पष्ट उल्लेख न किए जाने से कोई उचित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।
- 5. विनोद अ0सा01 ने पैरा 2 में और मुकेश अ0सा05 ने पैरा 2 में प्रतिपरीक्षण में इस आशय के तथ्यों का कथन किया है कि वह खेत की मेढ़ पर थे और दूसरी मेढ़ पर रामहेत अ0सा02 था जिसके बीच में ज्वार की फसल खड़ी थी जो लंबी थी और मुकेश अ0सा05 ने स्वीकार किया है कि एक मेढ़ से दूसरी मेढ़ तक नहीं देखा जा सकता है। विनोद अ0सा01 ने पैरा 3 में आवाज सुनकर मौके पर पहुंचना बताया है और मुकेश अ0सा05 ने भी पैरा 2 में यही बताया है कि खेत के बगल से दिख रहा था। अतः दोनों ही साक्षीगण ने फसल उगने के उपरांत भी घटनास्थल पर पहुंचने का पर्याप्त व उचित कारण व्यक्त किया है।
- विनोद अ0सा01 ने पैरा 4 में बताया है कि पुलिस ने 20 दिन बाद कोई पूछताछ नहीं की और 4–5 दिन बाद ही नक्शामीका बनाया था जो उसने नहीं पढ़ा और ना उसे पढ़कर सुनाया और पैरा 5 में बताया है कि वह नहीं बता सकता कि नक्शामीका में पुलिस ने किसके खेत किस जगह पर लिखे थे और नक्शामीका की लिखापढ़ी के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर या उसके घर पर कोई लिखापढ़ी नहीं की। नक्शामौका प्र0पी–1 घटना के पांच दिन बाद का ही विरचित है। उसमें बतायी गयी घटनास्थली विनोद अ०सा०१ ने अपने कथन में बतायी है जोकि रामहेत अ०सा०२ का खेत है। अतः घटनास्थल चिन्हित करने के बाद समीप के खेतों की स्थिति विवेचक द्वारा ही उल्लिखित की जाती है। अतः विनोद अ०सा०1 के कथन से नक्शामौका प्र0पी-1 विश्वसनीय सिद्ध होता है। एफआईआर प्र0पी-2 में घटनास्थल पड्आ वाला खेत लिखा है निहालसिंह अ०सा०६ ने पैरा 2 में इंकार किया है कि फरियादी ने पड्डा वाला खेत एफआईआर में नहीं लिखाया है। मुकेश अ0सा05 ने भी पैरा 2 में बताया है कि विनोद अ0सा01 के खेत से जिस पडुआ पर वह अपनी भैंस चरा रहा था वह एक खेत की दूरी पर है घटनास्थल के आसपास आरोपीगण के खेत हैं ऐसी प्रतिरक्षा नहीं है। घटना का कारण भी रामहेत अ०सा०२ के खेत में आरोपीगण का भैंस का जाना ही है और यही तथ्य मुख्यपरीक्षण में भी बताया गया है। अतः घटनास्थल उचित रूप से सिद्ध होता है। रामहेत अ०सा०२ ने पैरा 3 में कथन किया है कि घटनास्थल पर वह अकेला था और चिल्लाने के बाद विनोद अ०सा०१ और मुकेश अ०सा०५ आये थे। मुकेश अंग्रिश ने भी पैरा 2 में कथन किया है कि विनोद अंग्रिश मौके पर नहीं था और पैरा 3 में स्वीकार किया है कि रामहेत अ०सा०२ गांवनाते से उसका फुफा

लगता है और विनोद अ0सा01 ने ही उसे गवाही देने के लिए कहा था। रामहेत अ0सा02 ने चिल्लाने पर विनोद अ0सा01 का आना बताया है। विनोद अ0सा01 ने भी रामहेत अ0सा02 के चिल्लाने पर ही मौके पर पहुंचना बताया है जिससे मुकेश अ0सा05 का यह कथन स्पष्ट होता है कि घटना के समय विनोद अ0सा01 नहीं था। लेकिन विनोद अ0सा01 घटना के तत्काल बाद पहुंच गया था। प्रकरण में रामहेत अ0सा02 और उसका बेटा विनोद साक्षी है और स्वतंत्र साक्षी के रूप में मुकेश अ0सा05 का कथन कराया है जिसने रामहेत अ0सा02 को गांवनाते से अपना फूफा होना बताया है। अतः मुकेश अ0सा05 आहत का निकट रिश्तेदार नहीं है और गांव नाते से फूफा मानने से उसे हितबद्ध साक्षी नहीं माना जा सकता है। अतः स्वतंत्र साक्षी के रूप में मुकेश अ0सा05 के कथन आहत के संपुष्टिकारक हैं।

- 17. रामहेत अ०सा०२ ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि आरोपीगण ने उसे क्या गालियां दीं जिससे कि यह समाधान हो सके कि उच्चारित शब्द अश्लील प्रकृति के थे। विनोद अ०सा०१ ने भी उच्चारित शब्द स्पष्ट नहीं किए हैं। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने रामहेत अ०सा०२ को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित किए।
- 18. रामहेत अ०सा०२ ने मात्र वीरेन्द्र द्वारा ही जान से खतम करने की धमकी देना बताया है। विनोद अ०सा०१ ने गांव से निकालने और राजीनामा करने व रिपोर्ट न करने की धमकी दिया जाना बताया है। मुकेश अ०सा०५ ने सभी आरोपीगण द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है। अतः प्रत्येक साक्षी ने अलग—अलग तथ्य बताये हैं। किसी भी साक्षी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह अभित्रस्त हुए हों। अतः आरोपीगण द्वारा रामहेत अ०सा०२ को अभित्रास किए जाने के संबंध में अभियोजन साक्षीगण ने विश्वसनीय कथन नहीं किए हैं।
- 19. अतः रामहेत अ०सा०२ द्वारा स्वयं को उपहित कारित किए जाने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य दी है जिसकी संपुष्टि प्रत्यक्ष साक्षी विनोद अ०सा०१ तथा मुकेश अ०सा०५ के कथन से भी हुई है और चिकित्सीय साक्षी डॉ० आर०विमलेश अ०सा०४ और डॉ० आलोक शर्मा अ०सा०७ के कथन से भी हुई है। परन्तु किसी भी साक्षी द्वारा कुल्हाड़ी को धारदार हथियार के रूप में उपयोग कर रामहेत अ०सा०२ को उपहित पहुंचाये जाने का कथन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप आरोपीगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में रामहेत अ०सा०२ को कुल्हाड़ी से काटने के उपकरण के रूप में उपयोग कर उपहित पहुंचाया जाना सिद्ध नहीं होता है।
- 20. परिणामतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहता है कि आरोपीगण ने सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में रामहेत अ०सा०२ को स्वेच्छा घोर उपहित कारित की। परन्तु यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने रामहेत अ०सा०२ को लोक स्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया अथवा आपराधिक अभित्रास कारित किया अथवा सामान्य आशय के अग्रसरण में रामहेत अ०सा०२ को काटने के उपकरण से स्वेच्छा उपहित कारित की।
- 21. परिणामतः आरोपीगण को धारा 325/34 भा.द.स. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।
- 22. आरोपीगण को धारा 294, 324 / 34, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया 23. जाता है।
- अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। 24. आरोपीगण ने रामहेत अ0सा02 को अकारण 11 चोटें पहुंचाई हैं जिससे उसके अस्थिभंग हुआ है। जबकि घटनास्थल भी फरियादी का ही खेत है। अतः आरोपीगण ने कूरतापूर्ण आचरण किया है। अतः आरोपीगण का कृत्य ऐसा नहीं है कि उन्हें परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया जाये। अतः आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।
- प्रकरण दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु कुछ देर पश्चात पेश हो। 25.

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

### पुनश्च

- आरोपीगण के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया उनके द्वारा आरोपीगण को अल्प सजा दिए जाने का निवेदन किया गया है और व्यक्त किया है कि यह आरोपीगण का प्रथम अपराध है उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जाये।
- दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण को धारा 325 / 34 27. भा.द.स. के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड जमा करने में व्यतिक्रम की दशा में दस दिवस का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाये।
- धारा 357 द.प्र.स. कें अधीन अर्थदण्ड में से एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि आहत रामहेत अ०सा०२ को अपील अवधि पश्चात संदाय की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- प्रकरण में जप्त कुल्हाड़ी व लाठी अपील अवधि पश्चात नष्ट की जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
- आरोपीगण इस प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहे हैं। इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाण पत्र बनाया जाये 🏲

दिनांक :-

सही / — (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0